

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 532] No. 532] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

का.आ. 869(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) के साथ पिठत धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हरशिचंद्र गुप्ता को 28 फरवरी, 2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्वत्तर हो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. सेवा के निबंधन और शर्ते, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधि सूचना सं. सा.का.नि. 784(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003 द्वारा यथा अधिसूचित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य संदस्यों के चेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. 5/2/2008-सीसी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

S.O. 869(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Harish Chandra Gupta as Member of the Competition Commission of India with effect from 28th February, 2009 for a period of five years or till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of his service will be governed by Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003 as notified wide Notification No. G.S.R. 784(E), dated the 6th October, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii).

[F. No. 5/2/2008-CC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.